



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112025-267979  
CG-DL-E-26112025-267979

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5259]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/अग्रहायण 5, 1947

No. 5259]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/AGRAHAYANA 5, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5440(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा' (पैन AAALS2490J), जिसका गठन ओडिशा राज्य सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के तहत किया गया था, को होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में किया गया है निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- (क) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त वैधानिक सहमति एवं प्राधिकरण शुल्क;
- (ख) शासकीय कानूनों के अंतर्गत वसूले गए दंड एवं लेवी;
- (ग) केन्द्र एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान सहायता;
- (घ) नोडल एजेंसी की क्षमता में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से प्राप्त सहायता अनुदान;

- (ड) पर्यावरण अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए प्राप्त अंशदान का हिस्सा;
- (च) विविध आय, जैसे स्क्रेप की बिक्री, परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ, आरटीआई आवेदन शुल्क, बैंक गारंटी की जब्ती, निविदा शुल्क, परीक्षा शुल्क, विश्लेषण शुल्क और परामर्शदाता शुल्क का पैन्लीकरण, विविध शुल्क और संविधि के तहत बसूली आदि;
- (छ) उपरोक्त (क) से (च) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इस शर्त के अधीन प्रभावी होगी कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा-

- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए लागू मानी जाएगी, जो कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से 2026-27 के लिए होगी है और यह वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2027-28 के लिए लागू होगी, जो कर निर्धारण वर्ष 2027-28 से 2028-29 के लिए होगी है।

[अधिसूचना सं. 165/2025/फा. सं. 300196/49/2025-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

#### व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

**S.O. 5440(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'State Pollution Control Board, Odisha' (PAN AAALS2490J), a Board constituted by the State Government of Odisha under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

- (a) Statutory Consent & Authorization Fees received under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981;
  - (b) Penalties & Levies collected under governing statutes;
  - (c) Grant-in-aid received from Central & State Governments;
  - (d) Grant in Aid received on behalf of Central & State Governments in the capacity of nodal agency;
  - (e) Share of contributions received for carrying out environmental studies & research;
  - (f) Miscellaneous income, like sale of scrap, profit on sale of assets, RTI application fees, forfeiture of Bank Guarantee, tender fees, examination fees, analysis charges and empanelment of consultant fees, miscellaneous fees and recoveries under the Statutes etc;
  - (g) Interest earned on (a) to (f) above.
2. This notification shall be effective subject to the conditions that State Pollution Control Board, Odisha-
- (a) shall not engage in any commercial activity;

- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for Financial Year 2023-24 to 2025-26 relevant for the assessment years 2024-25 to 2026-27 and shall be applicable for Financial Years 2026-27 to 2027-28 relevant for the assessment years 2027-28 to 2028-29.

[Notification No. 165/2025/F. No. 300196/49/2025-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

### **Explanatory Memorandum**

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.